

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)
क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-306/2023)/अलेसे-III/10578

दिनांक:- 05/01/21

कार्यालय आदेश

श्री राजेश सिंह राना, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं.- 742700 कार्यालय उप कोषाधिकारी, सुमेरपुर (पाली) को राजस्थान सेवा नियम (खण्ड-प्रथम) के नियम-96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर) स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 08.04.20285 से 20.04.2025 तक (कुल 13 दिवस)

उक्त 13 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री राजेश सिंह राना, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-306/2023)/अलेसे-III/10578

दिनांक:- 05/01/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय उप कोषाधिकारी, सुमेरपुर (पाली)।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 3 श्री राजेश सिंह राना, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं.- 742700 कार्यालय उप कोषाधिकारी, सुमेरपुर (पाली)।
- 4 संयुक्त निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)